"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014—वैशाख 19, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुर्णचन्द्र देबांशी (PURNACHANDRA DEBANSHI) आत्मज श्री रामपति देबांशी, उम्र 54 वर्ष, कार्यालय सी.आई.एस.एफ., बल क्रमांक 814500831, यूनिट बी.एस.पी. भिलाई, स्थायी पता ग्राम सर्वनन्दपुर, पोस्ट लालदाह, पुलिस स्टेशन बोलपुर, जिला बीरभूम (पश्चिम बंगाल) का हूं. यह कि मेरे सर्विस बुक में मेरे नाम का स्पेलिंग पुर्णचन्द देबांग्शी (PURAN CHAND DEBENGSHI) भूलवश दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पुर्णचन्द्र देबांशी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पुर्णचन्द्र देबांशी आत्मज श्री रामपति देबांशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पुर्णचन्द देबांग्शी
आत्मज-श्री रामपति देबांशी
कार्यालय-सी.आई.एस.एफ., बल क्रमांक 814500831
यूनिट बी.एस.पी. भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

पुर्णचन्द्र देबांशी
आत्मज-श्री रामपति देबांशी
कार्यालय-सी.आई.एस.एफ., बल क्रमांक 814500831
यूनिट बी.एस.पी. भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल रफीक फैजी पिता श्री अब्दुल अजीज खान, उम्र 51 साल, निवासी-वार्ड नं.15, न्यू सिविल लाइन तुलसीपुर, शहर व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम अब्दुल रफीक लिखा है तथा मेरे बैंक व अन्य सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अब्दुल रफीक फैजी पिता श्री अब्दुल अजीज खान दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अब्दुल रफीक फैजी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अब्दुल रफीक फैजी पिता श्री अब्दुल अजीज खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अब्दुल रफीक पिता-श्री अब्दुल अजीज खान निवासी-वार्ड नं. 15, न्यू सिविल लाइन तुलसीपुर शहर व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	अब्दुल रफीक फैजी पिता-श्री अब्दुल अजीज खान निवासी-वार्ड नं. 15, न्यू सिविल लाइन तुलसीपुर शहर व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुलदीप सिंग (KULDEEP SINGH) पिता श्री दर्शन सिंग (DARSHAN SINGH) निवासी-न्यू मार्केट, रेल्वे कालोनी रोड, दल्ली राजहरा, तह. डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र जगजोत सिंग ने सत्र 2010-12 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया है जिसमें प्राप्त ग्रेडशीट सह निष्पादन प्रमाण पत्र में जगजोत सिंग कहलो पिता कुलदीप सिंग कहलो व माता का नाम सुरिन्दर कौर कहलो दर्ज है जबकि मेरे पुत्र के सभी कक्षाओं के अंकसूची व शासकीय दस्तावेजों में सरनेम दर्ज नहीं है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम जगजोत सिंग रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को जगजोत सिंग पिता श्री कुलदीप सिंग माता सुरिन्दर कौर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जगजोत सिंग कहलो पिता-श्री कुलदीप सिंग कहलो निवासी-न्यू मार्केट, रेल्वे कालोनी रोड, दल्लीराजहरा तह. डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.)	जगजोत सिंग पिता-श्री कुलदीप सिंग निवासी-न्यू मार्केट, रेल्वे कालोनी रोड, दल्लीराजहरा तह. डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूपा साह पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद साह, आयु 25 वर्ष, निवासी क्वा. न. 2 सी, सड़क नं. 31 ए, सेक्टर-10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रूपा कुमारी दर्ज है तथा मेरे पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रूपा साह दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रूपा साह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे रूपा साह पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद साह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रूपा कुमारी पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद साह निवासी-क्वा. नं.-2 सी, सड़क नं. 31 ए, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	रूपा साह पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद साह निवासी-क्वा. नं.-2 सी, सड़क नं. 31 ए, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/381.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1030/दिनांक 15-5-2008 के तहत् गायत्री महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खमतराई, पं. क्र. 3956 दिनांक 03-08-2002 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत गायत्री महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खमतराई, पं. क्र. 3956 दिनांक 03-08-2002 विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/382.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/95/1750/दिनांक 24-6-1995 के तहत् नर्मदा सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोढ़े प. क्र. 2941 दिनांक 02-05-71 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत नर्मदा सिंचाई सहकारी समिति मर्या. मोढ़े पं. क्र. 2941 दिनांक 02-05-71 विकास खण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/383.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/95/1750/दिनांक 24-6-1995 के तहत् राधाकृष्ण सिंचाई सहकारी समिति मर्या. खम्हरिया प. क्र. 3041 दिनांक 30-03-73 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत राधाकृष्ण सिंचाई सहकारी समिति मर्या. खम्हरिया पं. क्र. 3041 दिनांक 30-03-73 विकासखण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/384.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/95/1750/दिनांक 24-6-1995 के तहत् नर्मदा सिंचाई सहकारी समिति मर्या. पंडरिया प. क्र. 2060 दिनांक 10-03-72 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत् नर्मदा सिंचाई सहकारी समिति मर्या. पंडरिया पं. क्र. 2060 दिनांक 10-03-72 विकास खण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.